कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, बदायूँ

पत्रांकः— 87 /एन0बी0सी0—25 दिनांकः— 30 .04.2025

सेवा में,

प्रबन्धक,
महार्षि विद्या मंदिर,
अलापुर रोड़, वि0ख0—जगत,
जनपद—बदायूँ ।

विषयः— विद्यालय भवन के एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भः— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूँ का पत्रांक—बेसिक/13591/2024—25 दिनांक— 27.02.2025

....

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में महार्षि विद्या मंदिर, अलापुर रोड़, विकास खण्ड—जगत, जनपद—बदायूँ के विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त विद्यालय भवन के सम्बन्ध में आख्या/प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

30-04-25

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बदायूँ

29/5/25

पत्रांकः— /एन0बी0सी0—25 दिनांकः— .04.2025

प्रतिलिपि—

1. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, बदायूँ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक—27.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ

65-NBC

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि महार्षि विद्या मंदिर, अलापुर रोड़, विकास खण्ड–जगत, जनपद–बदायूँ के भवन का निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में संस्थान के प्रबन्धक/उपस्थित कर्मचारी द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 1994 में कराया गया है, जो वर्तमान में प्रथम–तल तक निर्मित है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक द्वारा नोटरी पर दिये गये शपथ–पत्र एवं संलग्न मानचित्र एवं तकनीकी प्रमाण पत्रों के दृष्टिगत संस्थान के भवन का सम्पूर्ण निर्माण कार्य Ar. Virendra Sharma एवं Er. Chandra Bhushan Tripathi, M.C.No. STR-029 की देख रेख में नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित मानकों के अनुरूप प्रारम्भ से वर्तमान स्थिति तक कराया गया है। संस्थान के प्रबन्धक द्वारा दिये गये शपथ–पत्र, आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा निर्गत मानचित्र एवं तकनीकी प्रमाण पत्रों तथा स्थलीय निरीक्षण के क्रम में अब तक कराया गया निर्माण प्रथमदृष्टया राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एन0बी0सी0–2005) मानकों के अनुरूप सुरक्षित प्रतीत होता है।

लो0नि0वि0 द्वारा पूर्वनिर्मित भवन सामग्री का परीक्षण नहीं किया जा सकता। अतः विद्यालय प्रबन्धन द्वारा दिये गये उपरोक्त अभिलेखों के आधार पर अब तक निर्मित भवन एन0बी0सी0 मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। शासन द्वारा समय–समय पर जारी नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत नियमों का पालन करना स्वयं भवन स्वामी को सुनिश्चित करना होगा।

30-04-25

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
बदायूँ